

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-331

उत्तर दिनांक - 28/11/2024 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा क्षमता विस्तार और सुरक्षा उपाय

331. श्रीमती रंजीत रंजन

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) नवंबर, 2024 तक कुल संस्थापित क्षमता सहित कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण और उन्हें प्रारंभ करने में आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, से निपटने की योजना बना रही है;
- (ग) देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार से जुड़े सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और
- (घ) परमाणु क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) नवंबर-2024 तक, देश की कुल स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता, 24 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को मिलाकर 8180 मेगावाट है।
- (ख) एनपीसीआईएल परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए भूमि अधिग्रहण, अंतिम रूप देने और पुनःस्थापन और पुनर्वासन (आरएंडआर) पैकेजों के कार्यान्वयन में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण और आरएंडआर से संबंधित मुद्दों के समीचीन समाधान के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ही पूर्व-परियोजना गतिविधियां शुरू करना, लंबे समय तक विनिर्माण किए जाने वाले उपकरणों की अग्रिम खरीद और जनता के विभिन्न वर्गों की चिंताओं को दूर करने के लिए बहु-आयामी जन-जागरूकता कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है।
- (ग) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन आदि में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प अतिरिक्तता तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रचालन उच्च योग्यता-प्राप्त, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा सुस्थापित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है।

नियामक प्राधिकरण (परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद - एईआरबी) द्वारा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के अंदर बहुस्तरीय संरक्षा क्रियाविधि कार्यान्वित है। इन समीक्षाओं और प्रचालन अनुभव की प्रतिपुष्टि के आधार पर आवश्यक उन्नयन किया जाता है और नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अनुरक्षण, संरक्षा की दृष्टि से अत्याधुनिक तकनीक से किया जाता है।

- (घ) सरकार ने स्वदेशी नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 10 स्वदेशी 700 मेगावाट रिएक्टरों को शीघ्रगामी (फ्लोट) मोड में क्रियान्वित करने की मंजूरी दी। इसके अलावा, सरकार ने इस वर्ष के बजट में भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास और नाभिकीय ऊर्जा के लिए और नई प्रौद्योगिकियों हेतु निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की घोषणा की।
